News

From Page One

जीएसटी परिषद ने दो दरों वाले कर स्लैब को मंजूरी दी

एयर कंडीशनर, सभी टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें और 350 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों जैसे उत्पादों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस के साथ-साथ सभी ऑटो पार्ट्स पर भी 18% की जीएसटी दर लागू होगी। दृष्टि सुधार के लिए चश्मे पर 28% की दर से 5% की दर लागू होगी।

सुश्री सीतारमण ने कहा, "मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे में सुधार किया जा रहा है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।" उर्वरक से संबंधित उलटे शुल्क ढांचे में भी सुधार किया जाएगा, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर शुल्क 18% से घटाकर 5% किया जाएगा।

40% की विशेष दर केवल विशेष पाप और अति-विलासिता वस्तुओं जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने योग्य तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगी, साथ ही वातित जल, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, मध्यम या बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें आदि पर भी लागू होगी।

बीमा सेवाओं, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटकर 0% हो जाएगी।

सुश्री सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने योग्य और अनिर्मित तंबाकू, और बीड़ी पर जीएसटी की दर क्षितपूर्ति उपकर के अलावा 28% ही रहेगी। जब केंद्र राज्यों को क्षितपूर्ति के लिए लिए गए ऋणों का भुगतान कर देगा, तो ये तंबाकू और तंबाकू से संबंधित वस्तुएं 40% की श्रेणी में आ

'राज्यपालों को विधेयकों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए'

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह प्रावधान राज्य विधेयकों पर "दूसरे फ़िल्टर" की तरह काम करता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने बीच में ही कहा, "लेकिन रोकथाम इलाज से बेहतर है, है ना?"

श्री सिब्बल ने उत्तर दिया कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के साथ संवैधानिकता की एक पूर्वधारणा जुड़ी होती है। राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति का उल्लेख कभी दुर्लभ उदाहरण हुआ करते थे। उन्होंने जवाब दिया, "अब, राज्यपाल वर्षों तक विधेयकों पर बैठकर विवाद पैदा करते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता के बारे में उनका संदेह, खासकर दोबारा पारित विधेयकों के मामले में, एक ढोंग है... अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों को राज्य विधेयकों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार विवेकाधीन विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक मार्ग हैं।"

विरष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्नाटक के वकील ने कहा कि राज्य विधानमंडल अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों को अपनी विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करने की अनुमित नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि केंद्र का यह तर्क कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, "मूल रूप से त्रुटिपूर्ण" है।

"लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में, मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह केंद्रीय होती है। किसी राज्य में द्वैध शासन नहीं हो सकता। राज्यपालों को राज्य सरकार की सहायता और सलाह के अधीन कार्य करना होता है। शासन निरंतर संघर्ष या संघर्ष के खतरे की स्थिति में नहीं चल सकता," श्री सुब्रमण्यम ने तर्क

पूर्व केंद्रीय मंत्री, अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपालों की कानून निर्माण में कोई भूमिका होती है।

उत्तर भारत में भारी बारिश से कई लोगों की मौत

हरियाणा में लगातार बारिश के कारण कई ज़िलों में जलभराव हो गया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और राज्य भर में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया।

दिल्ली से सटे इलाके में, उफनती यमुना ने बाढ़ के मैदानों में बसे घरों को जलमग्न कर दिया। वज़ीराबाद और हथिनीकुंड बैराजों से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफान पर थी और शहर में खतरे के निशान को पार कर गई।

जम्मू-कश्मीर में, सभी स्कूल और श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि नदियों और नालों में भारी पानी छोड़े जाने और भूस्खलन के कारण जम्मू संभाग के रियासी, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू में कई पुल और अंतर-ज़िला सड़कें क्षितग्रस्त हो गई। कश्मीर घाटी में, कुलगाम और शोपियां ज़िलों में सड़कें क्षितग्रस्त हो गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

विदेशी कंपनियों ने पहली तिमाही में भारत में परियोजनाएं रोक दीं

ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी.के. श्रीवास्तव ने द हिंदू को बताया, "यह काफी हद तक टैरिफ अनिश्चितताओं का असर है।" हालाँकि, श्री श्रीवास्तव को विश्वास था कि टैरिफ पर स्पष्टता आने के बाद इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाएगा।

पहली तिमाही में भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य ₹22,490 करोड़ था। हालाँकि यह पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में लगभग 50% अधिक था, ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल-जून 2024 तिमाही में पिछले वर्ष के आम चुनाव के कारण समग्र निवेश में मंदी देखी गई थी। पहली तिमाही में विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य दीर्घकालिक तिमाही औसत से 56% कम था।

जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री से मुलाकात की, यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया

विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा, क्योंकि यह 'एक ऐसा सहारा है जिसकी आज विश्व अर्थव्यवस्था को सचमुच जरूरत हैं'; यात्रा पर आए जर्मन मंत्री ने रूसी और चीनी आक्रामकता को सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां बताया

Suhasini Haidar NEW DELHI

भारत और जर्मनी ने बुधवार को व्यापार को दोगुना करने और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौत (FTA) को पूरा करने के प्रयासों में तेज़ी लाने की प्रतिबद्धता जताई। यह बात इस अनिश्चितता के बीच कही जा रही है कि क्या यूरोप अमेरिका की तरह रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाएगा।

जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ बातचीत के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता की "दोहरी चुनौतियों" पर चर्चा की। जयशंकर ने अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में यह बात कही।

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, श्री वाडेफुल ने रूस और चीन को अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के लिए दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ बताया।

व्यापार वार्ताकारों के बीच अगले दौर की वार्ता का ज़िक्र करते हुए, श्री जयशंकर ने कहा, "हम चाहते हैं कि [भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते] आने वाले दिनों में एक निर्णायक निष्कर्ष पर पहुँचे।"



कॉमन कॉज़: नई दिल्ली में अपने जर्मन समकक्ष जोहान वेडफुल के साथ बैठक के दौरान एस. जयशंकर। _{पीटीआई}

उन्होंने आगे कहा कि मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा, क्योंकि यह "एक ऐसा सहारा है जिसकी आज विश्व अर्थव्यवस्था को सचमुच ज़रूरत है"।

भारतीय और यूरोपीय संघ के वार्ताकारों ने अपनी बातचीत में तेज़ी ला दी है और उम्मीद है कि वे नियमित रूप से, संभवतः हर महीने, बैठकें करेंगे ताकि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल फ़रवरी में की गई बैठक में तय की गई साल के अंत तक की समय-सीमा पूरी हो सके। हालाँकि, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की तरह, दोनों पक्षों के बीच खाद्य और डेयरी उत्पादों के लिए कृषि बाज़ार पहुँच जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं।

अगर यूरोपीय संघ का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह रूसी तेल की ख़रीद के कारण भारतीय कंपनियों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाता है, तो दोनों पक्षों के बीच एक और बड़ा मुद्दा उठ सकता है। शुक्रवार को, जर्मन चांसलर फ्रेडिरक मर्ज़ ने घोषणा की कि जर्मनी और फ़्रांस, अमेरिका और यूरोपीय संघ पर दबाव डालेंगे कि वे "उन अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाएँ जिनकी तेल और गैस ख़रीद रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था के एक बडे हिस्से का वित्तपोषण करती है"।


नई दिल्ली में, श्री वाडेफुल ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या जर्मनी भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाने का समर्थन करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका इरादा यह सुनिश्चित करना है कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत की मेज पर आए।

उन्होंने कहा, "हमने शुल्क नहीं, बल्कि प्रतिबंध लगाए हैं जो हमने रूस पर लगाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रूस, जिसे अपने युद्ध के लिए धन जुटाना है, ऐसा करने में कम सक्षम हो।" उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि यूरोपीय संघ के देश देशों को उनकी ज़रूरत के तेल तक पहुँचने से नहीं रोकना चाहते, लेकिन रूस को यूरोप को अपना तेल बेचने के लिए "रास्ते बदलने" की अनुमति नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधों के पिछले दौर में, यूरोपीय संघ ने भारत में रूसी तेल कंपनी रोसनेपट और अन्य कंपनियों के एक संघ, नयारा एनर्जी के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ श्री मोदी की बैठक के अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आने के एक दिन बाद भारत पहुँचे जर्मन विदेश मंत्री ने रूसी और चीनी "आक्रामकता" की भी आलोचना की और कहा कि वह अपनी बैठकों के दौरान यूक्रेन में युद्धविराम के श्री मोदी के आह्वान का स्वागत करते हैं।

श्री वाडेफुल ने कहा, "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता आक्रामक व्यवहार दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है।" उन्होंने आगे कहा, "हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। रूस का आक्रामक युद्ध, जर्मनी और यूरोप में, हमारी सुरक्षा नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।"

श्री जयशंकर ने जर्मन मंत्री की टिप्पणियों को दरिकनार करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि "रणनीतिक स्वायत्तता वाला एक बहुधुवीय विश्व प्रमुख सदस्य देशों के बीच अधिक गहन परामर्श और सहयोग के माध्यम से [आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का] सबसे अच्छा जवाब दे सकता है।"



सरकार 11 लाख आंगनवाड़ियों को स्कूलों से जोड़ने की योजना बना रही है

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में लगभग 11 लाख आँगनवाड़ियों को स्थापित करने के लिए सह-स्थानीकरण प्रयासों को सुगम बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए।

ऑगनवाड़ी केंद्र शून्य से छह वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण और प्रारंभिक शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और उन्हें स्कूल परिसर में स्थापित करने से कक्षा 1 में औपचारिक स्कूली शिक्षा में सुगम संक्रमण संभव होता है। ये दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो ऑगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख करते हैं, द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए हैं।

महिला एवं बाल कल्याण सचिव, अनिल मलिक ने बताया कि अब तक लगभग 2.9 लाख आँगनवाड़ियों को निकटतम विद्यालयों के साथ सह-स्थानीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 14 लाख आँगनवाड़ियाँ और कक्षा 1 वाले 9.16 लाख विद्यालय शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, "हालाँकि, लगभग 11 लाख आँगनवाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका मानचित्रण नहीं किया गया है या सह-स्थानीकरण नहीं हुआ है।"

उन्होंने कहा, "इससे पहले, आंगनवाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 वाले स्कूलों को एक साथ कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में कोई तालमेल और अभिसरण दिशानिर्देश नहीं थे। क्षेत्र में यह धारणा थी कि आंगनवाड़ी की भूमिका स्कूलों से अलग है और दोनों के बीच कोई जैविक संबंध नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि निम्न-आय वर्ग के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ियों को निकटतम स्कूलों से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार ने तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 'आधारशिला' नामक एक पाठ्यक्रम जारी किया है।



केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से ये दिशानिर्देश जारी किए।फाइल फोटो

श्री मलिक ने कहा कि सह-स्थानीकरण से आंगनवाड़ी कर्मचारियों और स्कूल शिक्षकों के बीच तालमेल, गतिविधियों की संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम सरिखण और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी में मदद मिल सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि ये दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी सह-स्थानीकरण प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं।

ये दिशानिर्देश केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए।

ये दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डेटाबेस के बीच दोहराव से बचने के लिए लक्षित जनसंख्या में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के डेटा के मिलान के महत्व पर ज़ोर देते हैं। श्री कुमार ने बताया कि कक्षा 1 से आगे के स्कूली बच्चों को प्रदान की जा रही स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आईडी (APAAR ID) को आसान ट्रैकिंग के लिए तीन से छह वर्ष की आयु के उन बच्चों के लिए भी लागू किया जा सकता है जो आगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा मंत्रालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ बातचीत कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक पंजीकरण और आधार डेटाबेस को बच्चे के जन्म और पहचान के क्षण से ही जोड़ा जा सके। "यह विशिष्ट संख्या बच्चे के जीवन भर उसके साथ रहेगी, और जब बच्चा स्कूल प्रणाली में प्रवेश करेगा तो इसे पोषण ट्रैकर और APAAR ID में बदला जा सकेगा।"